सं0सं0–7/जन स्वा0–8–01/2017– 121(7)ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्ण)।

पटना, दिनांक :27-12-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड–20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 82,45,000/– (बेरासी लाख पैतालीस हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–11(7)ब दिनांक–15.05.17, 51(7)ब दिनांक–30.08.17, 66(7)ब दिनांक–21.09.17 109(7)बं दिनांक–11.12.17 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 82,45,000/– (बेरासी लाख पैतालीस हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटनाा / संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगें।

7. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

8. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वंय अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

D:\Bug 2017 18 Allot\Kamal\Jan-Swasth 4.doc

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

27/12/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 121(7)9 पटना, दिनांक : 27-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऍं/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/17

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bug 2017 18 Allot\Kamal\Jan-Swasth 4.doc

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड–20-2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	सामगी एवं पूर्तियॉ (21–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	निदेशक,लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	200000	240000	30000	9000	3600	2400	485000	0	10000	100000	100000	695000	991/14.12.17
2	विसूचिका भैक्सीन प्रयोगशाला	1200000	1560000	180000	8000	12000	12000	2972000	0	0	0	0	2972000	968/9.12.17
3	बी0एच0डब्ल्यू0 कार्यक्रम	1200000	1488000	120000	9000	12000	12000	2841000	0	0	0	0	2841000	967/9.12.17
4	पोषाहार योजना	410000	492000	41000	2600	8200	8200	962000	0	0	0	0	962000	970/9.12.17
5	सिविल सर्जन, मधुबनी	320000	384000	38400	0	5760	3840	752000	20000	3000	0	0	775000	2867/5.12.17
	कुल योगः–	**3330000**	**4164000**	**409400**	**28600**	**41560**	**38440**	**8012000**	**20000**	**13000**	**100000**	**100000**	**8245000**	

(बेरासी लाख पैतालीस हजार) रू0 मात्र

121(7)9
27-12-17

27/12/17
सरकार के विशेष सचिव

D:\Bug 2017 18 Allot\Kamal\Jan Swsth 4Viv I-II

वित्तीय वर्ष 2017—2018 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड—20-2210060030002

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0002—01—01)	60300000	45185000	3330000	48515000	11785000
2	जीवन यापन भत्ता (0002—01—03)	78994000	58643500	4164000	62807500	16186500
3	मकान किराया भत्ता (0002—01—04)	11294000	7923000	409400	8332400	2961600
4	परिवहन भत्ता (0002—01—05)	354000	301000	28600	329600	24400
5	चिकित्सा भत्ता (0002—01—06)	1017000	687670	41560	729230	287770
6	अन्य भत्ता (0002—01—07)	975000	691780	38440	730220	244780
	योग 20-2210.06.003.0002.01 वेतन	**152934000**	**113431950**	**8012000**	**121443950**	**31490050**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002—06—01)	200000	196543	0	196543	3457
8	यात्रा व्यय (0002—11—01)	100000	60000	20000	80000	20000
9	कार्यालय व्यय (0002—13—01)	200000	187000	13000	200000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002—13—02)	200000	100000	0	100000	100000
11	दूरभाष (0002—13—03)	12000	12000	0	12000	0
12	विद्युत प्रभार (0002—13—04)	250000	250000	0	250000	0
13	विधि प्रभार (0002—13—05)	100000	100000	0	100000	0
14	वर्दी / पोषाक (0002—13—06)	100000	100000	0	100000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002—14—01)	108000	108000	0	108000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002—20—03) *	700000	0	0	0	700000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002—21—01)	100000	0	100000	100000	0
18	दवा भंडार (0002—21—02)	100000	0	0	0	100000
19	छात्रवृत्ति / वजीफा (0002—34—01)	26000	26000	0	26000	0
20	मशीने एवं उपस्कर (0002—52—01)	100000	0	100000	100000	0
	कुल योग:—	**155230000**	**114571493**	**8245000**	**122816493**	**32413507**

121(7)9
27-12-17

27/12/17
सरकार के विशेष सचिव